रामनिवास ए० 5/16 प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मजबूती कॉम्प्लेक्स कोई कानूनी मुद्दा नहीं पेश हुआ। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपना वाद स्वयं ही वापस कर लिया है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्र.पत्र नम्बर से, कम होकर औसत अग्रसर है तथा वाद मियादी समझा जाए।

Sd/-

उप खण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर)

Scanned by CamScanner